

By Speed Post
RTI Matter

558/RTI/2011-SW/1140
No. 558/RTI/2011-SW/1140
Government of India
Ministry of Home Affairs
FFR Division (Settlement Wing)

NDCC Building, Jaisingh Road, New Delhi
Dated 17th May, 2014.

To

Shri Chander Mohan
s/o Shri Vimal Kumar,
463-A, 2nd Floor, Jheel Subzi Mandi,
Delhi-110051.

Sub: First Appeal under RTI Act, 2005.


Sir,

Please refer to your appeal dated 03.04.2014 under the RTI Act, 2005 received in this Ministry on 23.4.2014.

2. I have carefully gone through the reply given by the CPIO vide letter 14.03.2014 in response to your application dated 13.02.2014. The reply given by the CPIO is correct in so far as your queries about displaced persons migrated from Pakistan are concerned. Since the payment of compensation etc. in respect of the displaced persons from Pakistan(West) were being dealt in terms of the provision of the D.P(C&R) Act, 1954, and Rules of 1955 you were replied accordingly. The DP(C&R) Act, 1954 and DP(C&R) Rules, 1955 are priced publications and the same can be had from the market or from Out-let of Govt. of India Press Publication.
3. In so far as your case is concerned, it appears from the copy of the Receipt of Registration enclosed with your letter dated 06.06.2011 that Shri Purshotam Lal s/o Shri Raja Ram was a migrant from the area of POK and not from West Pakistan as such your case is not ~~pending~~ ^{covered} under the DP(C&R) Act & Rules for payment of compensation.
4. If you have any case pending with this Ministry, you may provide the details of your case for examining the matter by this Ministry.
5. You have already been requested vide this Ministry's letter dated 14.03.2014 to send the IPO drawn in favour of PAO, MHA. The IPO drawn in favour of Public Information Officer again sent to this Ministry is returned herewith with the request to send the same to this Ministry drawn in favour of 'Pay &Accounts Officer,MHA,New Delhi'.

6. Accordingly, your appeal is disposed of.

Yours faithfully,



(K.K. Pathak)

Joint Secretary & 1st Appellate Authority

Copy to:-

✓ Section Officer, ~~REIT~~ Cell, MHA, North Block, New Delhi for uploading in the Ministry's website. Copy of the appeal is enclosed.

Hindi version will follow.

संवा में, अपील प्राधिकारी/संयुक्त सचिव (एफ एफ आर) 56
 एफ एफ आर प्रभाग, गृह मंत्रालय,
 एन टी सी सी भवन, द्वितीय तल,
 जयसिंह रोड, नई दिल्ली 110003

DS (R.250)

विषय: R.T.I. समय निकलने के बाद जन सूचना अधिकारी द्वारा जो जवाब दिया गया वह भी सही न देने के लिए प्रथम अपील।

महोदय,
 निवेदन इस प्रकार है कि मैंने दिनांक 7/2/2014 को R.T.I. लगाई थी (प्रतिलिपि संलग्न) इस आधार पर मुझे दिनांक 14/3/2014 तक पत्र संख्या फा. सं. 36/4/2011-आर एड एस आर का पत्र मिला (प्रतिलिपि संलग्न) में इनके द्वारा आर जवाब से सहमत नहीं है क्योंकि (1) जन सूचना अधिकारी ने जो 3 प्रश्नों के जवाब दिए हैं वह ठीक नहीं है क्योंकि सुआवजा देने के नियम व कानून की डिटेल्स नहीं बताई हैं।

और प्रश्न 3 में जो जन सूचना अधिकारी लिख रहे हैं कि इस मंत्रालय में कोई मामला लम्बित नहीं है यह भी बिल्कुल गलत कार्यवाही कर जवाब दे रहे हैं क्योंकि हमारा इस मंत्रालय में मामला लम्बित है और हमें आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला है।

2) जन सूचना अधिकारी ने मेरे पत्र 5 प्रश्न के जवाब में लिखा है कि कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। मैं इससे भी सहमत नहीं हूँ क्योंकि अगर इनके कार्यालय में सूचना उपलब्ध नहीं है तो इनको जिस कार्यालय में सूचना उपलब्ध है वहाँ से सहायता कर मुझे देनी चाहिए थी।

3) मैं डाक बर से 11 रूबे देकर माहिर लगा भारतीय पोस्टल ऑर्डर खरीदा था परन्तु जजाने जन सूचना अधिकारी ने जैसे मेरे 5 प्रश्नों के गलत जवाब दिये हैं वैसे ही इस पोस्टल ऑर्डर को भी गलत बना रहे हैं (असली भारतीय पोस्टल ऑर्डर संलग्न)।

अतः मैं जन सूचना अधिकारी ने मेरे 5 प्रश्नों के ठीक जवाब नहीं दिया है और R.T.I. नियम का पालन भी नहीं किया इन पर नियम अनुसार कार्यवाही की जाए और

0 (R.250) [Signature] 2014 36/4/2011-आर एड एस आर क त व

सही जवाब दिया जा रहा है

भवदीय (५३)

चन्द्रमौदन

31/5/2014

चन्द्रमौदन 5/0

श्री विमल कुमार,

463-A, IInd फ्लोर,

श्रील शंजी मण्डी,

नियर कैरियर पब्लिक

स्कूल,

दिल्ली-110051

फोन: 8860180999